

२५ ११  
२५

आगे चलना नहीं  
चाहते।

मन डीप को

संख्या

24-11-25



वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण  
मनदीप कोर स्वयं उपस्थित आपी  
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 RTA  
को नोटिफ़िस करने हेतु प्राथमिक पत्र  
पेश किया। वादिचा व वादिचा अधिवक्ता  
को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन  
किया गया। लिहाजा वादीगण द्वारा  
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 RTA  
नोटिफ़िस करने पर प्रकरण इसी स्तर  
पर खारिज किया जाकर प्रकरण संख्या  
५७/२०२५, अनवान अमरजीत सिंह बनाम  
कुलजीत सिंह में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा  
भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्गत  
होकर नम्बर से कम होकर वापिस  
दफ़तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीकटरणपुर (श्रीगंगानगर)